# सोशल आडिट निदेशालय

**ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0**

**7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001**

**Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in**

पत्रांकः 645 / सो.आ.नि.–312 / 2014
दिनाँकः 12 फरवरी, 2015

प्रेषक,

**निदेशक,**
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी,**
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर, कासगंज, चंदौली को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

**विषयः प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014–15 में की गई सोशल आडिट की प्रगति।**

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक 566 / सो.आ.नि.–117 / 2014, दिनाँकः 09 जनवरी, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की अपेक्षानुसार प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह तक सोशल आडिट में प्रगति की अद्यतन स्थिति से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत निदेशालय के संदर्भगत पत्र दिनांक 09 जनवरी, 2015 द्वारा आपसे निम्नांकित प्रारूप पर सूचना प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

## Social Audit of MGNREGA

(i) ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका हैः
(ii) सोशल आडिट में इंगित कमियों की सं०ः
(iii) इंगित कमियों में से बैठक में निस्तारित मामलों की सं०ः
(iv) बैठक के उपरांत निस्तारित न हो पाने वाले मामलों की सं०ः
(v) मासान्त तक निस्तारित कुल मामलों की सं0ः
(vi) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज एफ0आई0आर0 की सं०ः
(vii) दुरुपयोग की गई कुल धनराशि (रुपये में)ः
(viii) वसूल की गई कुल धनराशि (रुपये में)ः
(ix) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों / कर्मचारियों की सं0 जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गईः

**Social Audit of Indira Awas Yojna (IAY)**

(i) ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें इन्दिरा आवास का सोशल आडिट सम्पन्न हो चुका हैः
(ii) सोशल आडिट में इंगित कमियों की सं०ः
(iii) इंगित कमियों में से बैठक में निस्तारित मामलों की सं०ः
(iv) बैठक के उपरांत निस्तारित न हो पाने वाले मामलों की सं०ः
(v) मासान्त तक निस्तारित कुल मामलों की सं0ः
(vi) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर दर्ज एफ0आई0आर0 की सं०ः
(vii) दुरुपयोग की गई कुल धनराशि (रुपये में):
(viii) वसूल की गई कुल धनराशि (रुपये में):
(ix) सोशल आडिट के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों / कर्मचारियों की सं0 जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गईः

अतः कृपया प्रत्येक माह भारत सरकार को विवरण भेजने हेतु प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपर्युक्त बिन्दुओं पर वांछित सूचना निदेशालय को भेजा जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः 645(1) / सो.आ.नि.–312 / 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की भारत सरकार द्वारा वांछित उक्त बिन्दुओं पर सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(शंकर सिंह)
निदेशक।